# न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 04 / 2021 दायरा दिनांक 17.03.2021
GCMS No. 2021/22

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

शंकरलाल पुत्र नैनूराम जाति बैरवा निवासी अहमदी तहसील किशनगंज, जिला—बारां।

— प्रार्थी

बनाम

1. धनपाल पुत्र मथुरालाल जाति बैरवा निवासी अहमदी तहसील किशनगंज जिला—बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला—बारां। — अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. श्री रामकिशन नागर , अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री राधाबल्लभ नागर, अभिभाषक अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज.कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 निरस्त किये जाने बाबत्।

निर्णय दिनांक 24.09.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 14(4) भू—राजस्व अधिनियम — 1970 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.05.2000 को ग्राम अहमदी की आराजी खसरा नं. 102 रकबा 2.02 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी के नाम आवंटन की गयी थी। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध एवं आवंटन प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं अप्रार्थी की तलबी की गई ।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से हैं कि बांके ग्राम अहमदी पटवार हल्का बजरंगगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां में नया खसरा संख्या 153 रकबा 0.34 हैक्टेयर पुराना खसरा नम्बर 102 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। जिसको प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 31.05.2000 को अप्रार्थी क्रम 1 को अवैधानिक तरीके से आवंटन निमयों का खुला उल्लघंन किये जाने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।



Scanned with OKEN Scanner

विवादित आराजी के आवंटन बाबत् न तो कोई विधिवत् तरीके से उद्घोषणा जारी की गई और न ही कोई नोटिस ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये। इसलिए अप्रार्थी क्रम–1 को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किये जाने काबिल है।

अप्रार्थी क्रम–1 को किया गया आवंटन कमेटी के अपूर्ण कौरम में किये जाने के कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि आवंटन आदेश पर आवंटन कमेटी के सदस्य विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में आवंटन निरस्त किये जाने काबिल है।

आवंटन दिनांक 31.05.2000 से पूर्व से ही विवादित आराजी ऑक्यूपाइट भूमि थी और आवंटन के लिए उपलब्ध भी नहीं थी। इसके बाबजूद विवादित आराजी का आवंटन अप्रार्थी क्रम–1 को अवैध तरीके से कर दिया गया। इस कारण भी अप्रार्थी क्रम–1 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी क्रम – 1 का विवादित आराजी पर आज दिन तक कब्जा नही रहा है। जबकि आवंटन शर्तो के मुताबिक किसी भी आवंटी को आवंटन के बाद आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि को काश्त करना आवश्यक है तथा द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण आवंटित आराजी को काश्त करना आवश्यक है और यदि आवंटी उक्त शर्तो की पालना नहीं करता है तो आवंटन शर्तो के अनुसार आवंटी का आवंटन निरस्त योग्य हैं। आवंटी ने उक्त शर्तो का उल्लघंन किया है। ऐसी स्थिति में आवंटी अप्रार्थीक्रम 1 का आवंटन दिनांक 31.05.2000 निरस्त किया जावें।

विवादित आराजी के आवंटन के समय अप्रार्थी क्रम–1 के पिता मथुरा लाल के खाते में 18 बीघा सिंचित भूमि थी और अप्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता था अर्थात् वह आवंटन हेतु पात्र व्यक्ति नहीं था। लेकिन अप्रार्थीक्रम–1 ने अपने हाथ को आडा–टेडा करके उक्त आराजी का आवंटन अवैध रूप से करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी के वकील द्वारा निम्न लिखित बहस प्रस्तुत की है :–

1. मद नम्बर 1 लिखित बहस अस्वीकार है तथा कथन है कि प्रार्थी ने मनगढ़न्त तथ्य पेश कर अपील प्रस्तुत की है।
2. मद नम्बर 2 लिखित बहस अस्वीकार है।
3. मद नम्बर 3 लिखित बहस अस्वीकार है।
4. मद नम्बर 4 लिखित बहस अस्वीकार है।
5. अप्रार्थी की खसरा नम्बर 102 रकबा 02 बीघा 2 बिस्वा भूमि किस्म बारानी सोयम ग्राम अहमदी तहसील किशनगंज दिनांक 31.05.2000 को नियमानुसार आवंटन हुई है तथा अप्रार्थी के कब्जे काश्त में है तथा वक्त आवंटन उक्त भूमि अप्रार्थी के कब्जे काश्त में थी अभी भी अप्रार्थी के कब्जे काश्त में है।



Scanned with OKEN Scanner

6. अप्रार्थी ग्राम अहमदी का मूल निवासी है अप्रार्थी जन्म से अहमदी में निवास करता चला आ रहा है। अप्रार्थी के परिवार कार्ड 1995 में अप्रार्थी का नाम कम 3 पर अंकित हैं। ग्राम अहमदी ग्राम पंचायत जलवाडा के अन्तर्गत आता है। उक्त परिवार कार्ड सन् 1994–95 का बना हुआ है तथा अप्रार्थी की मां का नाम लटूरीबाई पत्नि मथुरालाल ग्राम अहमदी का निर्वाचक फोटो पहचान पत्र है तथा इसी प्रकार ग्राम अहमदी विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सन् 1995 में भाग संख्या 60 तहसील किशनगेज में कम संख्या 51,52,53,54, पर अप्रार्थी व अप्रार्थी की पत्नि व माता–पिता का नाम अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थी ग्राम अहमदी का मूल निवासी है।

7. अप्रार्थी के पिता मथुरालाल, केशरीलाल, गोपाल 3 भाई व 2 बहिने रामनाथी, केसरबाई थे इस प्रकार पांच खातेदार है। मथुरालाल के हिस्से में 8 बीघा भूमि आई है तथा मथुरालाल के चार पुत्र अप्रार्थी, धनपाल, बनवारी, गंगाधर व धनराज, पुत्री सीता बाई है इस प्रकार अप्रार्थी को अपने पिता के जीवनकाल में 1 बीघा 12 बिस्वा आराजी हिस्से में आती हैं। इस प्रकार वक्त आवंटन अप्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र झूटे तथ्यों व आधारहीन होने से पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

वकील प्रार्थी की ओर से भी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि

1. अप्रार्थीक्रम 1 को ग्राम अहमदी की आराजी खसरा नम्बर 102 रकबा 2.02 बीघा (वर्तमान खसरा नम्बर 153 रकबा 0.34 हैक्टेयर) का आवंटन दिनांक 31.05.2000 को अवैध तरीके से किया गया है। क्योंकि इस दिनांक को अप्रार्थीक्रम 1 भूमिहीन नहीं था इस दिनांक को आवंटी के पिता मथुरालाल के खाते में ग्राम अहमदी तहसील किशनगंज जिला बारां में 18.00 बीघा सिंचित तथा ग्राम डडवाडा पटवार हल्का नौनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 287/0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312/0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 314/0.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316/1.6200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460/0.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 964/0.4600 हैक्टेयर, कुल किता 6 की 3.8200 हैक्टेयर (23.16 बीघा) सिंचित भूमि दर्ज थी इस प्रकार दोनों जगह कुल 41.16 बीघा सिंचित भूमि थी और अप्रार्थीक्रम 1 का मूल गांव अहमदी नहीं बल्कि हनोत्या तहसील बडोद जिला कोटा था। जैसा कि ग्राम डडवाडा की जमाबन्दी खाता संख्या 40 सम्वत 2075– 2078 से साफ जाहिर है। लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने आवेदन पत्र में पिता के खाते में 6.6000 हैक्टेयर (41.16 बीघा) सिंचित भूमि होते हुये भी इस तथ्य को छिपाते हुए एवं अपने आपको मिथ्या वचन के आधार पर ग्राम अहमदी का मूल निवासी एवं भूमिहीन बताकर तथा हल्का पटवारी से मिलीभगत कर रैगर जाति की झूठी रिपोर्ट करवाकर अवैध आवंटन करवा लिया है। जो कि मिसरिप्रजेन्टेशन की श्रेणी में आता है। और राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा Sohan Kanwar



Scanned with OKEN Scanner

Vs Board Of Revenue And Ors. on 31 August, 2001 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर कपट एवं मिथ्या वचन के आधार पर कोई भी भूमि आवंटन कराई है तो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त भी ऐसे अवैध भूमि आवंटन को भी नियम 14(4) के तहत श्रीमान कलक्टर/अतिरिक्त कलक्टर द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

2. अप्रार्थीक्रम 1 अवैध आवंटन कराने के बाद वापस उसके मूल गांव हनोत्या चला गया जिसने आवंटन के बाद 8–9 साल तक उक्त आराजी को काश्त नहीं किया है। जबकि राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच ने हरिशंकर बनाम स्टेट ऑफ राज. एस.बी.रीट. पीटीशन संख्या 16433/2016 में यह अभिनिर्धारित किया है कि 1970 के आवंटन नियमों के नियम 14(3) में यह शर्त दी हुई है कि आवंटी द्वारा नियमानुसार प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष में शेष भूमि पर काश्त किया जाना आवश्यक है। इन शर्तो का आवंटी द्वारा उल्लघंन किया जाता है तो नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन रद्द किया जा सकता है और आवंटन नियम 14(8सी) के तहत आवंटन के बाद यह पाया जाता हैं कि आवंटी भूमिहीन काश्तकार नही है तो राज्य सरकार द्वारा आवंटित आराजी को अपने कब्जे में लिया जा सकता है। आवंटी अप्रार्थीक्रम 1 ने आवंटित भूमि पर निर्धारित समयावधि में आवंटित आराजी काश्त नहीं की है दूसरा आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं है। क्योंकि नियम 12 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 2.00 हैक्टेयर सिंचित भूमि से अधिक भूमि होने पर उसको भूमिहीन नहीं माना जाता है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीक्रम–1 के पिता के खाते में आवंटन के समय दोनों गांवों में कुल 6.6000 हैक्टेयर (41.16 बीघा) सिंचित भूमि थी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीक्रम–1 के पक्ष में किया गया आवंटन किसी भी सूरत में बाहल नही रखा जा सकता हैं।

हमने उभयपक्ष के विद्वान वकीलों के तर्कों पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि वक्त आवंटन भूमि खाली नहीं थी। आवंटन से पूर्व उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा होना बताया गया है। वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि अप्रार्थी के कब्जे काश्त में है तथा वक्त आवंटन उक्त भूमि अप्रार्थी के कब्जे काश्त में थी। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार प्रार्थी का विवादित आराजी ग्राम अहमदी के खसरा नम्बर 102 रकबा 2.02 बीघा पर कब्जा होना प्रकट नही होता हैं।

वकील प्रार्थी द्वारा बताया कि अप्रार्थी ग्राम अहमदी का मूल निवासी व भूमिहीन नहीं है। अप्रार्थी के परिवार कार्ड सन् 1994–95 का बना हुआ है जिसमें अप्रार्थी का नाम कम 3 पर अंकित हैं। ग्राम अहमदी ग्राम पंचायत जलवाडा के अन्तर्गत आता है। पत्रावली में प्रस्तुत परिवार कार्ड के मुताबिक 6 सदस्य हैं। जिसमे कम संख्या 3 पर अप्रार्थी का नाम अंकित हैं। तथा अप्रार्थी धनपाल रेगर के आवंटन प्रार्थना पत्र में पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम अहमदी का मूल निवासी एवं भूमिहीन काश्तकार बताया गया हैं। पत्रावली में प्रस्तुत



Scanned with OKEN Scanner

रिकार्ड विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1995 में भाग संख्या 60 तहसील किशनगंज में अप्रार्थी का नाम क्रम संख्या 53 पर धनपाल अंकित होने से अप्रार्थी ग्राम अहमदी का मूल निवासी है। वकील प्रार्थी का कथन हैं कि अप्रार्थीक्रम 1 वक्त आवंटन भूमिहीन नहीं था इस दिनांक को आवंटी के पिता मथुरालाल के खाते में ग्राम अहमदी तहसील किशनगंज में 35.18 बीघा सिंचित तथा ग्राम डडवाडा पटवार हल्का नौनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 287/0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312/0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 314/0.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316/1.6200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460/0.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 964/0.4600 हैक्टेयर, कुल किता 6 की 3.8200 हैक्टेयर (23.16 बीघा) सिंचित भूमि दर्ज थी इस प्रकार दोनों जगह कुल 41.16 बीघा सिंचित भूमि थी। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार ग्राम अहमदी की आराजी 35.18 बीघा में हिस्सा 1/5 व 17.19 बीघा सम्पूर्ण तथा ग्राम डडवाडा की आराजी 23.16 बीघा में हिस्सा 1/10 इस प्रकार मथुरालाल के हिस्से में कुल 27.10 बीघा भूमि आई है। तथा मथुरालाल के चार पुत्र अप्रार्थी धनपाल, बनवारी, गंगाधर व धनराज, पुत्री सीता बाई है इस प्रकार अप्रार्थी को अपने पिता के जीवनकाल में 5.10 बीघा आराजी हिस्से में आती हैं। तथा व्यक्तिगत खाते से 3.12 बीघा कुल 9.02 बीघा भूमि अप्रार्थी धनपाल के हिस्से में आती हैं। इस प्रकार वक्त आवंटन अप्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में आता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति का कोरम नियमानुसार पूर्ण होने से तथा आवंटित भूमि की उदघोषणा विधिवत जारी होने से दिनांक 31.05.2000 को अप्रार्थी धनपाल पुत्र मथुरालाल जाति बैरवा निवासी अहमदी तहसील किशनगंज को ग्राम अहमदी की आराजी खसरा नं. 102 रकबा 2.02 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापिस भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)



Scanned with OKEN Scanner